

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

सर्व अहवाल

अधिवक्ता राजलक्ष्मी उदय राजलक्ष्मी अहवाल के निर्णय दिनांक 20.12.20 को उचित के साथ उल्लेख न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हुई है। इस निर्णय के अनुसार अधिवक्ता उदय राजलक्ष्मी की शपथित स्वरिज अहवाल न्यायालय राजलक्ष्मी अधिवक्ता राजलक्ष्मी माधोपुर का निर्णय दिनांक 4.1.2016 पत्रावली देखा है। अतः न्यायालय राजलक्ष्मी अधिवक्ता राजलक्ष्मी माधोपुर के निर्णय दिनांक 4.1.2016 से न्यायालय राजलक्ष्मी का निर्णय दिनांक 8.7.2008 अपास्त किया गया है तथा प्रकरण में आवश्यक पत्रावली बनाकर उदय राजलक्ष्मी के साथ सबूत लिये जाकर पुनः निर्णय पत्रिका के निर्देश की अतः प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्ट्रार को। पत्रावली को कोर्ट में पेश से तत्काल पत्रावली दिनांक 17-1-20 को पेश हो।

5948-61
10.12.19

य

17.1.20

वादीगण की ओर से श्री रामानंद शर्मा एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री रामचंद्र उदय अहवाल P.O. साहय उदय उदय में पत्रावली आदेश दिनांक 13.2.20 को पेश हो।

वादीगणों की ओर से
P.O. साहय

प्रतिवादीगणों की ओर से

13.2.20

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं है। कठिनाई समाप्त दिलवाई गई कि 2017 वादी वकील एवं वादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है अतः गह दया अहवाल हाजिरी एवं अहवाल पत्रिका में स्वरिज किया जाता है। पत्रावली के साथ शुभारंभ होकर न्यायालय से कम होकर दाखिल रफ्तार हो।

